

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

6
3/1/2013

सेवा में

महालेखाकार, (ले० एवं ह०)
वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना

पटना, दिनांक-.....

विषय:- बिहार मंदिर चहारदीवारी निर्माण योजना अन्तर्गत योजना का क्रियान्वयन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के माध्यम से कराने के लिए, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-०१, जहानाबाद को वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में कुल ₹९०,००,०००/- (रुपये नब्बे लाख मात्र) के व्यय की स्वीकृति।

क्र० सं०	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमंडलो के नाम	कार्यप्रमंडल मुख्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में आवंटित राशि (रु० लाख में)
१	२	३	४
१	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन-०१, जहानाबाद	जहानाबाद	₹९०.००
(कुल आवंटन - ₹९०,००,०००/- (रुपये नब्बे लाख मात्र))			

आदेश:- स्वीकृत।

२. योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने तथा कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा करने का दायित्व संबंधित जिला पदाधिकारी का होगा। कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था का संधारण जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से करेंगे।

३. यह राशि वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में मुख्य शीर्ष-२२३५-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-६०-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-२००-अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष-०११८-बिहार मंदिर चहारदीवारी निर्माण योजना, विपत्र कोड- P2235602000118 के अन्तर्गत विकलनीय होगी।

४. यह राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में उपबंधित योजना उद्ध्यय के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही है।

५. इसके नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, गृह विभाग होंगे।

६. इस राशि के निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्यप्रमंडल के कार्यपालक अभियंता होंगे। वे राशि की निकासी हेतु वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-४९८९, दिनांक १६.०५.२०१३ का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

७. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

८. उक्त राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के स्थायी अनुदेश सं०-२५६१, दिनांक १७.०४.९८ का अनुपालन किया जायेगा।

९. संबंधित कार्यपालक अभियंता आवंटित राशि से संबंधित व्यय विवरणी और उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमित रूप से गृह विभाग को जिला पदाधिकारी के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

१०. संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया जाता है कि आवंटित राशि को CTMIS में ऑनलाईन कराते हुए उसकी निकासी सुनिश्चित करेंगे।

११. स्वीकृत राशि के विरुद्ध व्यय की गयी राशि का लेखा सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराते हुए ससमय विभाग को प्रतिवेदन भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(चन्द्रशेखर सिंह)

सरकार के अपर सचिव

निबंधित
फैक्स

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/जिला कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/ कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, जहानाबाद/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि:- संयुक्त निदेशक, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 2253

पटना, दिनांक - 20-3-17

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव